

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग / जोन-अजमेर / विदेश यात्रा / एस-03-00682/ 2023 / 183

दिनांक:- 01-03-2023

-: आदेश :-

श्री सैयद शादाब नकवी नर्सिंग ऑफिसर सआदत चिकित्सालय टोंक को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 01.03.2023 से 30.03.2023 तक (30 दिवस) तक उमराह (धार्मिक यात्रा) हेतु मक्का व मदीना (केएसए) विदेश यात्रा जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार/नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग-पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. कार्मिक विदेश जाकर किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-35(28)/चिस्वा/गुप-3/2017 दिनांक 16.11.2017 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय, टोंक।
2. श्री सैयद शादाब नकवी नर्सिंग ऑफिसर को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. रक्षित/आदेश प्रत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)